उत्तर प्रदेश शासन

आबकारी अनुभाग-2

संख्या- 4/1379 ई-2/तेरह-2014-31(अधि0)/2007

लखनऊ: दिनांक: 12 अगस्त, 2014

<u>कार्यालय ज्ञाप</u>

श्री हरगोविन्द सिंह, समीक्षा अधिकारी, आबकारी अनुभाग-2, उ0प्र0 सचिवालय द्वारा स्वयं की चिकित्सा निजी क्षेत्र के चिकित्सक डा0 अंजली मोहन से दिनांक 03-02-2014 से 22-02-2014 तक करायी गई चिकित्सा पर व्यय की गई धनराशि रू0 10,322/- तथा अपनी पत्नी श्रीमती उर्मिला देवी की चिकित्सा पर व्यय की गई धनराशि रू0 2,017/- की प्रतिपूर्ति करने हेतु दावा प्रस्तुत किया गया है। उक्त प्रतिपूर्ति दावों के परीक्षणोंपरान्त चिकित्सा अधीक्षक, सचिवालय डिस्पेन्सरी, बापू भवन, लखनऊ के पत्र संख्या- सचि0/डिस्पे/चि0प्र0पू0/2014/2357, दिनांक 21-07-2014 द्वारा क्रमश: धनराशि रू0 10,302/- के सापेक्ष रू0 9,971/- (रू0 नौ हजार नौ सौ इक्हत्तर मात्र) की धनराशि तथा प्रतिपूर्ति दावे रू0 2,017/- के सापेक्ष रू0 1,895/- (रू0 एक हजार आठ सौ पंचानबे मात्र) की धनराशि जिसका कुल योग रू0 11,866/- (रू0 ग्यारह हजार आठ सौ छाछठ मात्र) की अनुमन्यता सत्यापित की गई है।

2- श्री हरगोविन्द सिंह द्वारा प्रस्तुत प्रश्नगत प्रतिपूर्ति दावे के सापेक्ष चिकित्सा अधीक्षक, सचिवालय डिस्पेन्सरी, बापू भवन, लखनऊ द्वारा संस्तुत की गई धनराशि रू0 9,971/- (रू0 नौ हजार नौ सौ इक्हत्तर मात्र) की धनराशि तथा रू0 1,895/- (रू0 एक हजार आठ सौ पंचानबे मात्र) की धनराशि जिसका कुल योग रू0 11,866/- (रू0 ग्यारह हजार

http://standardshrub.nic.in

आठ सौ छाछठ मात्र) होता है की प्रतिपूर्ति की स्वीकृति एतद्द्वारा चिकित्सा अनुभाग-6 की अधिसूचना दिनांक 20 सितम्बर, 2011 के अन्तर्गत उ0प्र0 सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली 2011 में निहित व्यवस्थानुसार श्री राज्यपाल महोदय द्वारा प्रदान की जाती है।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्यय के अनुदान संख्या - 78 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक " 3451-सचिवालय आर्थिक सेवायें आयोजनेत्तर -90 - सचिवालय -03 - सचिवालय मुख्य की मानक मद संख्या - 49 -चिकित्सा व्यय " के नामे डाला जायेगा ।

दीपक त्रिवेदी
प्रमुख सचिव।

संख्या- 4/1379 (1) ई-2/तेरह-2014 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1 - महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।

2 - कोषाधिकारी जवाहर भवन लखनऊ ।

3- अनुभाग अधिकारी (लेखा) परिवहन सचिव शाखा को एक अतिरिक्त प्रति एवं समस्त बिल /बाउचर्स प्रमाण - पत्र (मूलरूप में) ।

4 - सचिवालय, प्रशासन (बजट सेल) अनुभाग ।

5 - सम्बन्धित समीक्षा अधिकारी ।

6 - अनुभागीय आदेश पुस्तिका ।

आज्ञा से,

सुनील कुमार पाण्डेय
अनु सचिव।

http://shasnadesh.up.nic.in

http://shasnadesh.up.nic.in